न्यायालय रिक्त होने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष

प्रस्तुत ।

आवेदक धनन्जय पाण्डे द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी राकेश उर्फ गुड्डू द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। आपत्ति एवं मेमो पेश आपत्ति की नकल दिलाई गई।

विचारण / अधीनस्थ न्यायालय से प्र०क० 540 / 17 (थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 119 / 17 अंतर्गत धारा—420 भा0दं०सं०) शा0पु मालनपुर वि० धनन्जय पाण्डे आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक धनन्जय पाण्डे के आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक के पिता श्री शैलेश पाण्डे के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक धनन्जय पाण्डे का द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा अभिलेख से भी स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आरक्षी केन्द्र मालनपुर ने अपराध क्रमांक 119/2017 अंतर्गत धारा—420 में आवेदक को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन गुण दोषों के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विधि का सिद्धांत है कि जब तक दोषसिद्धि न हो जाए तब तक प्रत्येक आरोपी निर्दोष माना जाना चाहिए। प्रकरण के अंतिम निराकण में अधिक समय लगने की संभावना है। उक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदक निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

आपित्तिकर्ता राकेश उर्फ गुड्डू की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपित्त पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा असत्य आधारों पर जमानत आवेदन पेश किया गया है, जबिक आवेदक के द्वारा सहआरोपी राकेश पाण्डे के साथ मिलकर फरियादी के साथ धोखाधडी कर छल किया है। सहआरोपी राकेश की जमानत खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कोई परिस्थिति नहीं बदली है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 20.06.2017 एवं उसके पश्चात् दिनांक 04.07. 2017 को एवं 10.07.2017 को फरियादी चतुर सिंह को 187/— रुपए प्रति पौधे के हिसाब से पौधा लगाये जाने के लिए प्रवंचित करते हुए फरियादी अभियुक्त राकेश पाण्डे एवं धनंजय के द्वारा कमशः 5 हजार रुपए का चैक एवं 3,13,150/— रुपए का चैक प्राप्त कर उसका भुगतान प्राप्त किया परंतु पौधे नहीं लगाये। इस प्रकार आवेदक धनन्जय पाण्डे के द्वारा सहअभियुक्त राकेश पाण्डे के साथ मिलकर फरियादी चतुर सिंह के साथ छल किया गया। यद्यपि आवेदक धनन्जय पाण्डे दिनांक 23.08.17 से लगभग तीन माह से निरोध में है, परंतु छल की जाने वाली राशि लगभग 3,18,150 रुपए हैं।

अतः प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा सहअभियुक्त राकेश पाण्डे के साथ मिलकर अन्य लोगों के साथ भी छल किया गया है। जिसके संबंध में उसके विरूद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। आवेदक धनन्जय पाण्डे का प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 23.11.17 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है, इस मामले में परिस्थितियों को ऐसा कोई सारभूत परिवर्तन नहीं होना प्रकट है जिससे कि द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे। आवेदक का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने के पर्याप्त आधार प्रकट नहीं हैं। अतः धनन्जय पाण्डे का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख वापिस किया जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सन्न न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड